न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 125/2021 (2021/353)* *अनवान मुकनाराम वगैरा बनाम राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर* *प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-8-25	पत्रावली पेश हुई। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 4 के खसरा नम्बर 452/1 रकबा 29 बीघा एवं प्रार्थी संख्या 5 से 8 के खसरा नम्बर 452/2 रकबा 29 बीघा वाके ग्राम लूणावास चारणान तहसील झंवर में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार काबिज है। अप्रार्थी संख्या 2 से 3 के नाम दर्ज खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 452 रकबा 27 बीघा 2 बिस्वा तथा अप्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 452/3 रकबा 24 बीघा वाके ग्राम लूणावास चारणान में आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कभी मौके पर आज दिन तक कब्जा काश्त नही रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर 452 ग्राम लूणावास चारणान की नियमानुसार एवम् विधिवत रूप से कभी भी तरमीम की हुई नहीं है। राजस्व जमाबन्दी में उपरोक्त खसरा नम्बर 452 एवम् उसके बट्टा नम्बर का खाता अलग–अलग उपर वर्णितानुसार किया हुआ है परन्तु राजस्व नक्शे में कभी तरमीम इन्द्राज नहीं की गई। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 452 के राजस्व नक्शे में एवम् निर्बाध रूप से काबिज चले आ रहे है परन्तु हाल ही में विधि के प्रावधानो के विपरीत जाकर बिना प्रार्थीगण की जानकारी मे लाये बगैर एक तरफा तौर पर अप्रार्थी से सांठ–गांठ करते हुए खसरा नम्बर 452/3 की राजस्व नक्शे मे ट्रेस लट्टे मे लाल लाईन अंकित करते हुए तरमीम दर्ज कर दी जबकि उपरोक्त तरमीम पूर्णतया गलत एवम् कानूनी प्रावधानो के विपरीत है, इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 452/1, 452/2, 452/3 व 452 की अशुद्व तरमीम को शुद्ध किया जाकर वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 452/1 व 452/2 की तरमीम दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार झंवर को प्रकरण में जवाब/जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार झवंर की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार ग्राम लूणावास चारणा (पूर्व में लूणावास कंला) के खसरा संख्या 452, 452/1, 452/2, 453/3 कुल रकबा 109.02 बीघा के चारों खसरान् में से खसरा नम्बर 452 के खातेदारान का आदिनांक तक कब्जा नहीं है। मौके पर फसल बोयी हुई है व ख.स. 452/1, 452/2, 452/3 के खातेदारान का कब्जा है। पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 01.08.2023 के अनुसार वर्तमान में उक्त खसरों की मौका स्थिति ऑनलाईन डीआईएलआरएमपी नक्शा अनुसार तरमीम से भिन्न होना दर्शाया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार उक्त खसरान में तरमीम दुरूस्ती का निवेदन किया है। तहसीलदार झंवर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में ग्राम लूणावास चारणान के खसरा नम्बर 452/1, 452/2, 452/3 व 452 की ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में तरमीम शुद्व किये जाने की स्पष्ट अनुशंषा नहीं की है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के उक्त खसरान् में तरमीम दुरूस्ती किया जाने पर अन्य खातेदारों की मौका स्थिति प्रभावित हो सकती है। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती की परिभाषा में नहीं आने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	